:: कार्यालय कलेक्टर, जिला–खण्डवा ::

क्रमांक / 10772 वाचक.कले. / 2015 खण्डवा, दिनांक 9/09/2015.

प्रति,

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल,
म.प्र.ग्वालियर

पुर्नविलोकन 7038-PBR/15

विषयः– म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51(1) के तहत राजस्व प्रकरण कमांक 01–अ–20(1)/2010–2011 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2011 के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

000

विषयान्तर्गत अनुरोध है कि नजूल प्रकरण कमांक 01–अ–20(1)/2010–11 में तत्कालिन अपर कलेक्टर व्दारा कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करते हुए पारित दिनांक 19.10.2011 को आदेश पारित कर आवेदक शंकरलाल पिता लधाराम, निवासी पदमकुण्ड वार्ड, खण्डवा के पक्ष मे खण्डवा शहर स्थित नजूल भूमि ब्लाक नंबर 22 प्लाट नंबर 116 में से 120 वर्गफुट भूमि का स्थायी पट्टा जारी किया गया है, जो प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण होकर निरस्ती योग्य है।

2– अतएव कृपया नजूल प्रकरण कमांक 01–अ–20(1)/2010–11 में तत्कालिन अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2011 के पुनर्विलोकन की अनुमति म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 (एक) के तहत प्रदान करने की कृपा करें। पुनर्विलोकन के संबंध में आदेश पत्रिका एवं मूल प्रकरण कमांक 01–अ–20(1)/2010–11 अवलोकन हेतु संलग्न प्रेषित है।

<u>संलग्न– उपरोक्तानुसार</u>

(एम.के.अग्रवाल)
कलेक्टर,
जिला खण्डवा

आज दिनांक 15/9/2015
ऑफिस में पेश
15/9/15

शासन कलेक्टर (बड़वा) / शंकरलाल

पुनर्विलोकन - 7038-PBR/15

18.11.2015	आवेदक की ओर से श्री हेमन्त भृंगी अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री विक्रान्त होल्कर अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक के अभिभाषक द्वारा समय चाहा गया, जो प्रकरण को लम्बित रखने का उद्देश्य है। अतः समय चाहने का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है। कलेक्टर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये प्रकरण क्रमांक 01-अ-20(1)/2010-11 पारित आदेश दिनांक 19.10.2011 के पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाती है। अध्यक्ष